-4 # गर्भित अथवा अर्द्ध-गर्भित अनुबन्ध
(Implied or Quasi Contracts)

पाठ संरचना (Lesson Structure)

4.0 उद्देश्य (Objective)
4.1 प्रस्तावना (Introduction)
4.2 गर्भित अथवा अर्द्ध-गर्भित अनुबन्ध के प्रकार
 4.2.1 धारा 68 के अनुसार
 4.2.2 धारा 69 के अनुसार
 4.2.3 धारा 71 के अनुसार
 4.2.4 धारा 72 के अनुसार
4.3 अनुबन्ध-खण्डन के उपचार
4.4 क्षतिपूर्ति की माप
4.5 क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति अनुबन्ध
4.6 हानि रक्षाधारी के अधिकार
 4.6.1 हानिरक्षक के अधिकारी
4.7 प्रत्याभूति अनुबन्ध
 4.7.1 प्रत्याभूति अनुबन्ध के लक्षण
4.8 क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति अनुबन्ध में अन्तर
4.9 प्रत्याभूति के प्रकार
 4.9.1 विशिष्ट प्रत्याभूति
 4.9.2 चालू प्रत्याभूति
 4.9.3 चालू प्रत्याभूति का खण्डन
4.10 प्रतिभू का दायित्व
 4.10.1 प्रतिभू के दायित्व की समाप्ति
 4.10.2 प्रतिभू के अधिकार
4.11 सारांश (Summuing up)
4.12 अभ्यास हेतु प्रश्न (Question for Exercise)
4.13 पठनीय पुस्तकें (Suggested Readings)

Scanned with CamScanner

4.0 उद्देश्य (Objective)

इस पाठ का मुख्य उद्देश्य छात्रों को गर्भित अथवा अर्द्धगर्भित अनुबन्ध के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है।

4.1 परिचय (Introduction)

साधारणतया एक वैध अनुबन्ध का निर्माण प्रस्ताव एवं उसकी स्वीकृति से ही होता है, किन्तु कुछ ऐसे भी अनुबन्ध होते हैं जो पक्षकारों के मध्य बिना किसी प्रस्ताव या स्वीकृति के ही हो जाते हैं। ये अनुबन्ध भी वैधानिक अनुबन्धों की तरह दायित्व उत्पन्न करते हैं। राजनियम भी इन्हें अनुबन्ध मानता है। इनके निर्माण का आधार समझौता न होकर राजनियम होता है। ऐसे अनुबन्ध को अंग्रेजी राजनियम के अनुसार 'अर्द्धअनुबन्ध' और भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के अनुसार 'राजनियम द्वारा गर्भित अनुबन्ध कहते हैं।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, "गर्भित अनुबन्ध एक ऐसा व्यवहार है, जिसमें यद्यपि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की संविदा नहीं होती है, किन्तु अधिनियम के अनुसार उनके बीच सामान्य रूप से कुछ अधिकारी एवं दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं।" इस परिभाषा से स्पष्ट है कि गर्भित अनुबन्ध की तरह मान्य एवं राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं।

4.2 गर्भित अथवा अर्द्धगर्भित अनुबन्ध के प्रकार (Kinds of Implied or Quasi Contracts)

गर्भित अनुबन्ध के प्रकारों का वर्णन भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 68 से 72 के अन्तर्गत की गयी है जो निम्नलिखित है-

4.2.1 धारा 68 के के अनुसार -

"यदि कोई व्यक्ति अनुबन्ध करने के लिए अयोग्य व्यक्ति को अथवा उस पर आश्रित व्यक्तियों के जीवन स्तर के अनुरूप अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वह व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति की सम्पत्ति से उन वसतुओं का मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी होता है।"

उदाहरण के लिए- A जो अयस्क है, B से गेहूँ क्रय करता है। तो B, A की सम्पत्ति से गेहूँ का मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी है।

किन्तु धारा 68 की निम्नलिखित शर्त भी है-

(i) पूर्ति की गई वस्तुयें अनिवार्य आवश्यकताओं की होनी चाहिए।

(ii) उपहार अथवा दान के रूप में आवश्यकता की वस्तु प्रदान की गयी नहीं होना चाहिए।

(iii) अयोग्य व्यक्ति केवल उचित मूल्य देने को बाध्य है, अनुबन्धित मूल्य नहीं।

(iv) पूर्ति वस्तु के मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से होना चाहिए।

7.2.2 धारा 69 के अनुसार -

"यदि कोई व्यक्ति अपने हित के लिए कोई ऐसा भुगतान कर देता है, जिसका भुगता करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति दायी है, तो वह दूसरें व्यक्ति से भुगतान की हुई रकम प्राप्त करने का अधिकारी है।

Scanned with CamScanner

उदाहरण के लिए, रवि, रमेश का मकान किराये पर लेता है। रमेश ने पानी कर का भुगतान एक वर्ष से नहीं किया है। अतः कर न अदा करने के कारण पाइप लाइन काटने की नोटिस आ जाती है। रवि बकाया कर का भुगतान कर देता है ताकि पाइप लाइन न काटी जा सके। यहाँ पर रवि, रमेश से इस कर की रकम का भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है।

(i) भुगतान कर्त्ता का भुगतान में हित निहित होना चाहिए।

(ii) जिसकी ओर से भुगतान किया जाय वह व्यक्ति वैधानिक रूप से भुगतान करने के लिए बाध्य हो।

(iii) भुगतान किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ही किया गया हो।

(iv) भुगतान सद्भावना से किया गया है।

(3) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 70 के अनुसार, "जब कोई व्यक्ति शुल्क लेने की भावना से परन्तु स्वेच्छा से दूसरे व्यक्ति-के लिए ऐसा कार्य करता है तो वैधानिक है अथवा उस व्यक्ति को कोई वस्तु देना है और दूसरा व्यक्ति उससे लाभ उठाता है तो दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के लिए क्षतिपूर्ति करने अथवा वस्तु लौटाने के लिए बाध्य है।"

उदाहरण के लिए-A मूल से कुछ माल B के घर छोड़ जाता है। B उस माल का निजी माल समझकर उपयोग कर लेता है। B, A को माल का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

किन्तु दूसरी ओर A, B की सम्पत्ति को आग से बचाता है। यदि A ने ऐसा कार्य सेवा भाव से किया है तो A क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं है।

धारा 70 की निम्नलिखित शर्त्ते हैं-

(i) कार्य करने वाले की भावना पारिश्रमिक पाने की होनी चाहिए।

(ii) दूसरे पक्षकार को ऐसे कार्य से लाभ प्राप्त होना चाहिए।

(iii) कार्य दूसरे पक्षकार की इच्छा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

(iv) कार्य वैधानिक रूप से किया हुआ होना चाहिए।

4.2.3 अनुबन्ध अधिनियम की धारा 71 के अनुसार -

"जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का पड़ा हुआ माल मिल जाता है और वह व्यक्ति उस माल को अपने पास रख लेता है तो उसका उत्तरदायित्व एक निक्षेपागृहीता के समान हो जाता है।" उसके लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक हो जाता है

(i) वस्तु पाने वाले को वस्तु की उचित देख-भाल करनी चाहिए।

(ii) वस्तु के मालिक के पास वस्तु को पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए।

(iii) पाये माल को अपने माल के साथ नहीं मिलाना चाहिए।

(iv) मालिक मिल जाने पर उसे माल लौटा देना चाहिए।

किन्तु यदि माल की रखवाली में वह कुछ व्यय करता है तो वह वैधानिक रूप से उसे पाने का अधिकारी है और अगर उसे क्षतिपूर्ति नहीं हो जाती, तब तक वह उस माल को अपने अधिकार में रख सकता है।

4.2.4 अनुबन्ध अधिनियम की धारा 72 के अनुसार -

"उस व्यक्ति को जिसे, भूल से या उत्पीड़न द्वारा किसी वस्तु की सुपुर्दगी प्राप्त हो गयी है अथवा धन का भुगतान किया है, वस्तु को वापस लौटा देना चाहिए अथवा उसका उचित मूल्य देना चाहिए।

Scanned with CamScanner

उदाहरण के लिए A एवं B संयुक्त रूप से C से 1000 रुपया ऋण प्राप्त करता है। A, C को कुल रकम का भुगतान कर देता है और इस बात को जानते हुए B पुनः 1000 रुपया C को दे देता है। अतः यहाँ C, B को 1000 रुपया लौटाने के लिए बाध्य है।

4.3 अनुबन्ध-खण्डन के उपचार (Remedies for Breach of Contracts)

जब अनुबन्ध का कोई पक्षकार, जो परस्पर सहमति से अथवा किसी अन्य परिस्थिति के कारण दायित्व-मुक्त नहीं हुआ है, अनुबन्ध का निष्पादन करने से मना कर देता है अथवा अपने वचन का समुचित पालन नहीं करता, तो अनुबन्ध भंग हुआ माना जाता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष को निम्नलिखित उपचार प्राप्त है-

(1) **अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार (Right to rescind the contract)** - जब कोई पक्षकार अनुबन्ध भंग कर देता है, तब पीड़ित पक्ष अनुबन्ध को समाप्त मान सकता है एवं वह अनुबन्ध के अन्तर्गत अपने सारे दायित्वों से मुक्त हो जाता है।

उदाहरण, राम ने सोहन को 5 बोरी चीनी 1 मई को देने का वचन दिया। सोहन ने माल मिलने पर भुगतान का वचन दिया। निश्चित तिथि पर राम 5 बोरी चीनी नहीं दे पाया। ऐसी स्थिति में सोहन अनुबन्ध को समाप्त मान सकता है, एवं इससे वह भुगतान करने के अपने वचन से मुक्त माना जायेगा।

(2) **हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार (Right to claim damages)** - पीड़ित पक्षकार उस राशि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकता है, जिसकी हानि अनुबन्ध खण्डन के कारण उठाई है। किन्तु यह हर्जाना उसे हुई हानि के लिए उचित क्षति-पूर्ति स्वरूप ही होगा, अनुबन्ध करने वाले पक्षकार के लिए खण्ड स्वरूप नहीं।

(3) **उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार (Right to Claim for Quantum Meriut)** - जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी प्रार्थना पर कोई वस्तु देता है अथवा उसके लिए कोई काम करता है और यदि उसके लिए पहले से कोई पारिश्रमिक तय नहीं होता, तो उसे न्यायालय की दृष्टि में उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। उचित पारिश्रमिक की गणना मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

उदाहरण के लिए A, 20,000 रुपया में B का मकान बनवाने का अनुबन्ध करता है। B मकान का काम पूरा होने से पहले ही A को काम करने से रोक देता है। ऐसी परिस्थितियों में A अपने कार्य के लिए 'उचित पारिश्रमिक' पाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है।

लेकिन 'उचित पारिश्रमिक सिद्धान्त' निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होता है-

(i) यदि कोई अनुबन्ध विभाजन योग्य न हो और सम्पूर्ण कार्य के निष्पादन के आधार पर किसी पक्षकार को पारिश्रमिक माँगने का कोई अधिकार नहीं होगा। जैसे- एक चित्रकार द्वारा किसी चित्र बनाने के क्रम में मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी इस अधूरे चित्र के लिए कोई पारिश्रमिक पाने का दावा नहीं कर सकता है।

(ii) यदि कोई अनुबन्ध आंशिक कार्य के भुगतान के लिए स्पष्ट या गर्भित रूप से न किया गया हो तो उचित पारिश्रमिक सिद्धान्त के आधार पर उसे कुछ भी पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो सकता है।

(iii) यदि कोई पक्षकार अनुबन्ध खण्डन के लिए दोषी है तो उसे 'उचित पारिश्रमिक सिद्धान्त' के अनुसार कोई प्रतिफल या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल सकता है।

Scanned with CamScanner

लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त करने के उपर्युक्त नियम के निम्नलिखित दो अपवाद भी है, जिसमें दोषी पक्षकार भी क्षतिपूर्ति का अधिकारी होता है-

(क) जब कोई अनुबन्ध विभाजित किया जा सकता है और पीड़ित पक्षकार ने दोषी पक्षकार द्वारा किये गये कार्य से लाभ उठाया है तो दोषी पक्षकार 'उचित पारिश्रमिक सिद्धान्त' के आधार पर किये गये कार्य के लिए पारिश्रमिक की मांग कर सकता है।

(ख) जब किसी अनुबन्ध के अधीन किसी कार्य के पूरा करने पर एक साथ पारिश्रमिक दिया जाना हो एवं कार्य पूरा कर दिया गया हो लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से, तो दोषी पक्षकार को देय रकम में से त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रकम काट कर ही शेष रकम प्राप्त हो सकती है।

(4) **विशिष्ट निष्पादन की मांग का अधिकार (Claim for Specific Performance)** - जब किसी अनुबन्ध के खण्डन की दशा में केवल हर्जाना पा लेना ही समुचित उपचार नहीं हो सकता तो वैसी परिस्थिति में विशिष्ट उपचार अधिनियम के अन्तर्गत पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके वचन का निष्पादन करने को विवश करने के लिए न्यायालय में में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है।

लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यायालय निर्दिष्ट निष्पादन की आज्ञा नहीं दे सकता।

(i) व्यक्तिगत सेवा संबंधी अनुबन्ध की स्थिति में,

(ii) प्रतिफल विहीन अनुबन्ध की स्थिति में,

(iii) यदि अनुबन्ध के निष्पादन का निरीक्षण करना संभव न हो,

(iv) यदि निर्दिष्ट निष्पादन के लिए आज्ञा प्रदान करना उचित एवं न्यायपूर्ण न हो

(v) द्रव्य के रूप में क्षतिपूर्ति संभव की स्थिति में।

(5) निषेधाज्ञा जारी करने की मांग का अधिकार (Claim of Injunction) - एक पक्षकार अपने अनुबन्ध में दिये गये वचन से मुकरने का मन्तव्य प्रेट करता है तो दूसरे पक्षकार उससे विशिष्ट निष्पादन कराने के उद्देश्य से न्यायालय का ऐसी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिससे अनुबन्ध भंग करने वाला पक्षकार ऐसा करने में सफल न हो।

उदाहरण के लिए A, B से एक हॉल नाटक करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए लेने का अनुबन्ध करता है किन्तु B उस हॉल के उसी अवधि के लिए C को देने के लिए प्रवृत्त है तो A उसके इस कार्य पर निषेधाज्ञा जारी करने का आवेदन दे सकता है।

किन्तु यह न्यायालय का स्वाधीन अधिकार (Discretionary Power) है, जिसका प्रयोग साधारणतः निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जाता है-

(क) यदि क्षतिपूर्ति का उपचार मुद्रा में पर्याप्त न हो, एवं

(ख) न्यायालय द्वारा विशिष्ट निष्पादन लाना सम्भव न हो।

4.4 क्षतिपूर्ति की माप (Measure of Damages)

यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अनुबन्ध भंग किए जाने पर पीड़ित पक्षकार को हर्जाना वसूल करने का अधिकार है। किन्तु हर्जाने की राशि कितनी हो, यह निश्चित करना कठिन होता है। इस बात पर पक्षकारों में अक्सर झगड़ा हो जाता है एवं

Scanned with CamScanner

स्थिति न्यायालय तक जाने की हो जाती है। इस सम्बन्ध में अंग्रेजी राजनियम में हेडले बनाम बेक्सेन्डेबेल (Headey Vs Baxendable) का विवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस विवाद में किसी मिल मालिक ने एक टूटी हुई मशीन किसी सार्वजनिक वाहक कम्पनी की इस उद्देश्य से भेजी कि वह उसे मशीन बनाने वाली फर्म के पास पहुंचा दें, जिससे वह फर्म उस नमूने के आधार पर नई मशीन तैयार कर दें। किन्तु सार्वजनिक वाहक कम्पनी की लापरवाही से मशीन को उस फर्म तक पहुँचने में देर हो गयी, इस बीच मशीन नहीं आने के कारण मिल को बन्द कर देना पड़ा। इस पर मिल मालिक ने वाहक कंपनी पर उस लाभ को प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया जो कि उसको मिल बन्द न करने से होता। न्यायालय ने मिल बन्द होने से अन्य व्यय एवं हानियों की मांग स्वीकार कर ली किन्तु लाभ की क्षति की मांग अस्वीकार कर दी, क्योंकि मिल मालिक ने वाहक कम्पनी की इस क्षति को जानकारी नहीं करायी थी।

उपर्युक्त वर्णित विवाद के अनुसार हर्जाना दिलाने का मुख्य पीड़ित पक्ष को, जहाँ तक सम्भव हो, आर्थिक दृष्टि से ऐसी स्थिति में लाना है जिसमें कि वह अनुबन्ध निष्पादन किये जाने पर होता।

इसी को ध्यान में रखते हुए अनुबन्ध अधिनियम की धारा 73d एवं 74 एवं विभिन्न विवादों में दिये गये निर्णय के आधार पर हर्जाना की राशि निश्चित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं-

(1) सामान्यतः पीड़ित पक्ष अनुबन्ध भंग से हुई वास्तविक हानि (Actual loss) के लिये ही हर्जाने की मांग कर सकता है। यदि वास्तव में उसे कोई हानि नहीं हुई है तो न्यायालय केवल नाम मात्र हर्जाना देने की आज्ञा देगा।

(2) वास्तव हानि की राशि निश्चित करते समय न्यायालय आमतौर पर केवल उन्हीं हानियों का हिसाब लगाता है जो सामान्य परिस्थितियों में स्वाभाविक रूपरेखा से उत्पन्न होती है, अप्रत्यक्ष अथवा दूरवर्ती हानियाँ का नहीं।

(3) हर्जाने की राशि निश्चित करते समय उन उपलब्ध साधना को ध्यान में रखा जाता है जिनके द्वारा भंग से उत्पन्न हुई असुविधा को दूर किया जा सकता है। उन साधनों का उपयोग करने में पीड़ित पक्ष को जो असुविधा होती है एवं जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, उसका उचित मुआवजा मांगा जा सकता है। किन्तु अगर वह उपलब्ध साधनों का उपयोग नहीं करता, जिस कारण उसे अधिक हानि उठानी पड़ती है, तो इसके लिए दोषी पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। अर्थात् पीड़ित पक्षकार से यह आशा की जाती है कि वह हानि को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा।

(4) साधारणतया, हर्जाना पीड़ित पक्ष हुई हानि की पूर्ति के लिए दिया जाता है, दोषी पक्ष को दण्डित करने के लिए नहीं लेकिन दो विशिष्ट परिस्थितियों में न्यायालय दण्ड के रूप में अधिक हर्जाने की आज्ञा दे सकता हैं :-

(क) विवाह का वचन भंग करने पर, एवं

(ख) बैंक द्वारा, बिना किसी उचित कारण के, ग्राहक का चेक अनादर करने पर।

इन दोनों ही परिस्थितियों में पीड़ित पक्ष की भावनाओं एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाती है जिसके प्रतिकार के लिए वास्तविक हानि से अधिक मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था की गयी है।

(5) यदि किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत पक्षकार को कुछ भुगतान करना है तो अनुबन्ध भंग की दशा में लेनदार, केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही, ब्याज पाने का अधिकारी होगा-

(क) जहाँ स्पष्ट अथवा गर्भित रूप से ब्याज देने का समझौता है,

Scanned with CamScanner

(ख) जहाँ व्यापार की परम्पराओं के अनुसार ब्याज देने का रिवाज है,

(ग) ब्याज अधिनियम के अनुसार-

(i) जहाँ कोई रकम एक-लिखित प्रपत्र के अन्तर्गत निश्चित तिथि पर देय हैं, उस निश्चित तिथि से, तथा

(ii) जहाँ भुगतान की कोई निश्चित तिथि नहीं है, उस तिथि से जब लिखित रूप से रकम मांगी जाती है और कहा जाता है कि उस दिन से ब्याज लगाया जायेगा अथवा,

(घ) वस्तु विक्रय अधिनियम के अ नुसार जब अनुबन्ध भंग होने पर-

(i) विक्रेता मूल्य के लिए दावा करता है, अथवा

(ii) क्रेता अन्तिम राशि वापस पाने के लिए दावा करता है।

(6) यदि अनुबन्ध के कारण पीड़ित पक्ष को कुछ व्यक्तिगत असुविधा सहन करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हर्जाने की माँग की जा सकती है। (Hobbs Vs. London and South Western Rly Co (1875))

(7) हर्जाने का आदेश प्राप्त करने के लिए जो व्यय किया गया है वह भी हर्जाने की रकम में शामिल किया जा सकता है।

(8) यदि हर्जाने की राशि निश्चित करना है, तो इसका अर्थ यह है कि हर्जाना का वसूल नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में न्यायालय जो भी रकम उचित समझे, हर्जाने के रूप में दी जा सकती है।

(9) यदि अनुबन्ध करते समय पक्षकारों ने हर्जाने की रकम तय कर ली है (चाहे व निर्धारित हर्जाना हो अथवा दण्ड) और उसका उल्लेख अनुबन्ध में कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित में पीडित पक्ष केवल उचित हर्जाना वसूल करनें का ही अधिकारी होगा, निर्धारित रकम नहीं। लेकिन किसी भी हालत में हर्जाने की रकम उल्लिखित रकम से अधिक नहीं होगी।

4.5 क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति अनुबन्ध (Contracts of Indemnity and Guarantee)

क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Contracts of Indemnity) - भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 124 के अनुसार, "क्षतिपूर्ति अनुबन्ध एक ऐसा अनुबन्ध है, जिसके अन्तर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण द्वारा होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है।" (Contract of indemnity is a contract whereby one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the premiser himself or by the conduct of any other person.)

इसे 'हानि-रक्षा अनुबन्ध' भी कहा जाता है, इस प्रकार के अनुबन्ध में जो पक्षकार हानि की पूर्ति करने का वचन देता है उसे 'हानि-रक्षाधारी' (Indemnify holder) कहते हैं।

उदाहरण- A, B को वचन देता है कि C द्वारा 2000 रुपये की वसूली के सम्बन्ध में की जानेवाली कार्यवाही के फलस्वरूप उसे जो भी हानि होगी वह (A) उसकी पूर्ति करेगा। यह एक क्षतिपूर्ति अनुबन्ध है। इसका A हानि-रक्षक एवं B हानि-रक्षाधारी है।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार केवल वे ही अनुबन्ध क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध कहे जायेंगे जिनमें किसी ऐसी हानि की पूर्ति किये जाने का वचन हो जो हानि रक्षक अथवा किसी व्यक्ति के आचरण के कारण उत्पन्न होती है, वह अनुबन्ध, जो किसी दुर्घटना के कारण हुई हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है (जैसे- अग्नि बीमा अनबन्ध) क्षतिपूर्ति का अनुबन्ध नहीं कहलाता।

Scanned with CamScanner

किन्तु यह बात सही प्रतीत नहीं होती, क्योकि बीमा अनुबन्ध (जीवन बीमा को छोड़कर) मूलतः क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध कहे जाते हैं। अतः भारतीय न्यायालय इस परिभाषा को पूर्ण न मानते हुए इस सम्बन्ध में अंग्रेजी कानून का सहारा लेते हैं, जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति अनुबन्ध एक ऐसा अनुबन्ध है जिसके अन्तर्गत, ''किसी निर्दोषा व्यक्ति को एक ऐसे लेन-देन के कारण हुई हानि से बचाने का वचन दिया जाता है जो वचनदारी के अनुरोध पर किया गया हो'' क्षतिपूर्ति अनुबन्ध की यह एक व्यापक परिभाषा है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा हुई हानि ही नहीं वरन् किसी घटना के फलस्वरूप हुई हानि की की पूर्ति के वचन को भी क्षतिपूर्ति अनुबन्ध माना जाता है।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में निम्नलिखित विशेषताएँ या लक्षण पाये जाते हैं।

(i) क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध के द्वारा क्षतिपूर्ति का स्पष्ट वचन दिया जाता है अर्थात् कोई गर्भित वचन क्षतिपूर्ति का वचन नहीं होता।

(ii) ऐसे अनुबन्ध में ऐसी हानि को क्षतिपूर्ति करने के लिए हानि रक्षक द्वारा हानिरक्षाधारी को वचन दिया जाता है जो हानिरक्षाधारी के स्वयं के व्यवहार अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचे अर्थात् क्षतिपूर्ति करने का वचन किसी घटना के कारण हुई हानि के लिए नहीं होता।

4.6 हानिरक्षाधारी के अधिकार (Right of Indemnity-holder)

अनुबन्ध अधिनियम की धारा 125 के अनुसार, यदि क्षतिपूर्तिधारी ने अपने प्रदत्त अधिकार के अनुसार ही कार्य किया है एवं वचनदाता के निर्देश को नहीं बदलता है तो उसे क्षतिपूर्ति करने वाले पक्षकार के विरूद्ध निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं-

(1) वह हर्जाना की राशि जो उसे ऐसे बाद के सम्बन्ध में देना पड़े जिस पर क्षतिपूर्ति का वचन लागू होता है।

(2) वे सारे व्यय जो उसने इस प्रकार के बाद को प्रस्तुत करने या उसका प्रतिवाद करने में किये हों, अथवा ऐसी रकम जो ऐसे वाद की शर्तों के अनुसार चुकानी पड़े।

(3) वह रकम प्राप्त करने का अधिकार जो उसने इस प्रकार के बाद सम्बन्ध में हुई समझौता की शर्त्तों के अन्तर्गत चुकायी हो, बशर्ते की समझौता हानि रक्षक के आदेशों के प्रतिकूल नहीं है तथा ऐसा है जो कि हानि-रक्षाधारी क्षतिपूर्ति अनुबन्ध के अभाव में विवेकपूर्ण काम करते हुए अपने लिए करता।

4.6.1 हानिरक्षक के अधिकार (Right of Indemnifier) -

हानिकारक अनुबन्ध के अन्तर्गत जब हानि रक्षाधारी की क्षतिपूर्ति कर देता है तो उसे उन सभी उपायों एवं साधनों (Means) को पाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिनसे हानि रक्षाधारी अपनी हानि को बचा सकता था।

4.7 प्रत्याभूति अनुबन्ध (Contract of Guarantee)

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 126 के अनुसार, ''प्रतिभूति का अनुबन्ध एक ऐसा अनुबन्ध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति की क्षति की दशा में उसके (तीसरे व्यक्ति) वचन का निष्पादन करने तथा उसके दायित्वों को पूरा करने का वचन देता है।'' (A contract Guarantee is a contract to perform the promise of discharge the liability of a third party in case of his default.)

वह व्यक्ति जो प्रतिभूति देता है 'प्रतिभूति' (Surety) कहलाता है। यह व्यक्ति जिसकी त्रुटि के लिए प्रतिभूति दी जाती है, 'मूल ऋणी' (Principal Debtor) कहलाता है। वह व्यक्ति जिसे प्रतिभूति दी जाती है, 'ऋणदाता' (Creditor) कहलाता है।

Scanned with CamScanner

उदाहरण- A, B से कहता है कि वह C को तीन माह के लिए 5000 रुपये का ऋण दे दे और वह वचन देता है कि अगर C समय पर ऋण का भुगतान नहीं करेगा तो वह स्वयं उसका भुगतान कर देगा। A, B के मध्य यह एक प्रत्याभूति अनुबन्ध है। इसमें A प्रतिभूति है। C मूल ऋणी एवं B ऋणदाता।

प्रत्याभूति किसी ऋण के भुगतान, उधार बेचे गए माल का मूल्य चुकाने अथवा किसी कर्मचारी की ईमानदारी या अच्छे आचरण के सम्बन्ध में दी जाती है। वैसे यह किसी वैध वचन के निष्पादन के लिए दी जा सकती है। भारत में इसे लिखित होना अनिवार्य नहीं है। यह मौखिक भी हो सकती है।

4.7.1 प्रत्याभूति अनुबन्ध के लक्षण (Characteristics of Contract of Guarantee) -

सामान्य अनुबन्धों की तरह प्रत्याभूति अनुबन्ध में भी एक वैध अनुबन्ध के सभी आवश्यक तत्त्व विद्यमान होना चाहिए, किन्तु निम्नलिखित लक्षणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए-

(i) प्रत्याभूति अनुबन्ध के लिए तीनों पक्षों प्रतिभू, मूलऋणी एवं ऋणदाता की सहमति होना आवश्यक है।

(ii) यदि मूल ऋणी अनुबन्ध करने की क्षमता नहीं भी रखता है, तब भी उसके लिए दी गयी प्रत्याभूति वैध होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्याभू को ही मूल ऋणी माना जाता है और भुगतान के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है।

(iii) प्रत्याभूति अनुबन्ध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है, किन्तु यह जरूरी नहीं है कि वह प्रतिफल प्रत्याभू के लिए किसी लाभ के रूप में ही हों। मूल ऋणी के लिए किया गया कोई कार्य या उसके या उसके लाभ के लिए दिया गया कोई वचन ही प्रत्याभू के लिए पर्याप्त प्रतिफल है।

(iv) जिस दायित्व के सम्बन्ध में प्रत्याभूति दी गई है वह कानून द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। यदि किसी दायित्व का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उसके लिए दी गई प्रत्याभूति वैध नहीं मानी जायेगी।

4.8 क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति अनुबन्ध में अन्तर (Difference between Contract of Indemnity and Guarantee)

(i) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में वचनदाता द्वारा वचनगृहीता को ऐसी हानियों से बचने का वचन दिया जाता है जो वचन-गृहीता वचनदाता से स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचती है। प्रत्याभूति अनुबन्ध में प्रतिभू (Surety) ऋणदाता को वचन देता है कि यदि मूल ऋणी अपने वचन का निष्पादन नहीं करेगा, तो वह स्वयं उसकी ओर से ऐसा कर देगा।

(ii) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में केवल दो पक्ष होते हैं, हानि रक्षक एवं हानि रक्षाधारी। किन्तु प्रत्याभूति अनुबन्ध में तीन पक्ष होते हैं, मूल ऋणदाता, ऋणी तथा प्रतिभू।

(iii) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में हानि-रक्षक तथा हानि-रक्षाधारी के बीच केवल एक मौलिक अनुबन्ध होता है। किन्तु प्रत्याभूति अनुबन्ध होते हैं- मुख्य ऋणी एवं ऋणदाता के मध्य, (ii) ऋणदाता एवं प्रतिभू के मध्य और (iii) प्रतिभू एवं मुख्य ऋणी के मध्य एक गर्भित अनुबन्ध।

(iv) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में किसी सम्भाव्य घटना के घटित होने पर ही हानि रक्षक का दायित्व निश्चित होता है। किन्तु प्रत्याभूति अनुबन्ध में एक निश्चित ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन की प्रत्याभूति दी जाती है जो विद्यमान है।

Scanned with CamScanner

(v) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध का उद्देश्य हानि-रक्षाधारी को सम्भाव्य हानि से बचाना होता है। किन्तु प्रत्याभूति अनुबन्ध का उद्देश्य मूल ऋणों के वचन के निष्पादन की जमानत देना होता है।

(vi) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध के अन्तर्गत हानि-रक्षक का दायित्व प्रथम (Primary) एवं स्वतंत्र होता है। लेकिन प्रत्याभूति अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रतिभूति का दायित्व गौण एवं दूसरा (Secondary) होता है, जो मूल ऋणी द्वारा अपने दायित्व को पूरा न करने की स्थिति में ही उत्पन्न होता है।

(vii) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में हानि-रक्षक हानि की रकम का भुगतान कर देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति पर अपने नाम से कोई दावा नहीं कर सकता, जबतक कि यह अधिकार उसे स्पष्ट रूप से हस्तांतरित न कर दिया गया हो। जबकि, प्रत्याभूति अनुबन्ध में प्रत्याभू, ऋणदाता को भुगतान करने के बाद स्वयं ऋणदाता की स्थिति में आजाता है और उसे मूल ऋणों के विरूद्ध अपने नाम से दावा करने का पूर्ण अधिकार मिल जाता है।

(viii) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में हानि-रक्षक का प्रायः कोई व्यक्तिगत हित (जैसे प्रीमियम मिलना) होता है। किन्तु प्रत्याभूति अनुबन्ध में साधारणतया कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता। उसका मुख्य अभिप्राय मूल ऋणों की सहायता करना है।

(ix) क्षतिपूर्ति अनुबन्ध का क्षेत्र सीमित है क्योंकि इसमें प्रत्याभूति अनुबन्ध सम्मिलित नहीं होता। दूसरी ओर प्रत्याभूति अनुबन्ध का क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक है क्योंकि इसमें हानि-रक्षा का अनुबन्ध भी सम्मिलित होता है।

4.9 प्रत्याभूति के प्रकार (Kinds of Guarantee)

प्रत्याभूति दो प्रकार की हो सकती है-

4.9.1 विशिष्ट प्रत्याभूति (Specific Guarantee) -

जब किसी विशेष ऋण या वचन के लिए प्रत्याभूति दी जाती है तो उसे 'विशिष्ट प्रत्याभूति' कहते हैं। इसमें प्रत्याभू का दायित्व केवल एक लेन-देन तक ही सीमित रहता है और जब वह लेन-देन पूरी हो जाती है तो प्रत्याभूति अनुबन्ध समाप्त हो जाता है।

4.9.2 चालू प्रत्याभूति (Continuing Guarantee) -

जब कोई प्रत्याभूति लेन-देनों की एक शृंखला के सम्बन्ध में दी जाती है तो उसे चालू प्रत्याभूति कहते हैं। उदाहरण के लिए A, चाय के एक व्यापारी B को, उसके द्वारा C को समय-समय पर बेची जाने वाली चाय के भुगतान के लिए 200 रुपये तक की प्रत्याभूति देता है। B ने C को 2500 रुपये की चाय बेची जिसका भुगतान C ने कर दिया। बाद में फिर उसने (B) 3000 रुपये की चाय सप्लाई की जिसका C ने भुगतान नहीं किया। चूँकि एक चालू प्रत्याभूति थी, अतः A 2500 रुपये का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

कोई प्रत्याभूति चालू प्रत्याभूति है या नहीं, यह पक्षकारों के इरादे एवं सम्बद्ध परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चालू प्रत्याभूति का मुख्य लक्षण यह है कि वह दो पक्षकारों के मध्य होने वाले अनेक लेन-देनों पर लागू होती है; न कि कुछ विशिष्ट लेन देनों पर और प्रत्याभू अन्त में रकम के लिए ही दायी होता है। जैसे किराया वसूल करने के लिए नियुक्त कर्मचारी के आचरण की प्रत्याभूति चालू प्रत्याभूति है लेकिन किस्तों के किए जाने वाले भुगतान की प्रत्याभूति को चालू प्रत्याभूति नहीं कहा जा सकता है। चालू प्रत्याभूति में समय या राशि की सीमा निर्धारित की जा सकती है।

4.9.3 चालू प्रत्याभूति का खण्डन (Revocation to Continuing Guarantee) -

इसका खंडन निम्नलिखित दो ढंग से किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

(क) सूचना द्वारा (By Notice) - ऋणदाता को सूचना देकर, भावी लेन-देनों के सम्बन्ध में, चालू प्रत्याभूति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। जब प्रतिभू खण्डन की सूचना देदेता है तब वह बाद की लेन-देनों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन सूचना से पहले के लेन-देनों के लिए उसकी जिम्मेदारी बनी रहती है।

(ख) प्रतिभू की मृत्यु होने पर (By Surety's Death) - यदि कोई विपरीत अनुबन्ध न हो तो प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर भावी लेन-देनों के सम्बन्ध में, चालू प्रत्याभूति समाप्त हो जाती है। इस दशा में ऋणदाता को प्रतिभू की मृत्यु की जानकारी होना आवश्यक नहीं है।

उपर्युक्त दो परिस्थितियों के अलावा चालू प्रत्याभूति उन सब दशाओं में भी समाप्त हो जाती है जिनमें साधारणतया प्रतिभू दायित्व-मुक्त हो जाता है; जैसे मूल अनुबन्ध की शर्तों में परिवर्तन किए जाने पर, मूल ऋणी के मुक्त होने पर कमी आने अथवा ऋणदाता द्वारा जमानत खो देने पर।

4.10 प्रतिभू का दायित्व (Liability of Surety)

प्रतिभू सामान्यतया उस समस्त राशि व कार्य के लिए उत्तरदायी होता है जिसके लिए मूल ऋणी को स्वयं दोषी ठहराया जा सकता है। धारा 128 के अनुसार यदि अनुबन्ध में इसके विपरीत कुछ न दिया गया हो, तो प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के साथ सह-विस्तृत होता है।

उपर्युक्त नियम के अनुसा, ऋणदाता मूल अनुबन्ध के अन्तर्गत जो कुछ मूल ऋणी से वसूल कर सकता था, वही सब वह प्रतिभू में प्राप्त करने का अधिकारी है। किन्तु अनुबन्ध करते समय प्रतिभू ने अपने दायित्व की कोई सीमा निर्धारित क दी है, तब उससे अधिक रकम प्रतिभू से वसूल नहीं की जा सकती है।

यह सही है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समान ही होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अगर किसी कारण से मूल ऋणी को दायी नहीं ठहराया जा सकता, तो प्रतिभू भी दायी नहीं होगा।

वास्तव में जिस वचन या ऋण के लिए प्रत्याभूति दी जाती है, उसके निष्पादन या भुगतान की प्रथम जिम्मेदारी मूल ऋणी की होती है। अगर निश्चित तिथि पर वह अपने वचन का पालन नहीं करता, तभी प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। किन्तु यदि देय तिथि पर मूल ऋणी भुगतान नहीं कर पाता है तो प्रतिभू का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह तुरन्त उस दायित्व को पूरा करें।

4.10.1 प्रतिभू के दायित्व की समाप्ति (Discharge of Surety) -

यदि मूल-ऋणी अपने वचन का निष्पादन कर देता है, तो साधारणतया प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। किन्तु इसके अतिरिक्त निम्नलिखित परिस्थितियों में भी प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है-

(1) मूल अनुबन्ध की शर्तों में परिवर्तन किये जाने पर - यदि प्रतिभू की सहमति के बिना मूल ऋणी एवं ऋणदाता के बीच हुए मूल अनुबन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तन के बाद उत्पन्न होने वाले दायित्वों के लिए प्रतिभू मुक्त हुआ समझा जाता है।

(2) मूल ऋणी के मुक्त होने पर - यदि मूल ऋणदाता आपस में कोई ऐसा समझौता करते हैं अथवा ऋणदाता कोई ऐसा कार्य या भूल करता है जिसके फलस्वरूप मूल ऋणी अपने-अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिभू भी दायित्व मुक्त हो जाता है।

किन्तु एक ही ऋण के लिए एक से अधिक व्यक्तियों ने प्रत्याभूति दी है, तो ऋणदाता द्वारा किसी एक सह-प्रतिभू (Co-surety) को उसके दायित्व से मुक्त किए जाने पर अन्य प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त

Scanned with CamScanner

(3) मूल ऋणी व ऋणदाता में कोई समझौता होने पर - यदि प्रतिभू की सहमति के बिना ऋणदाता मूल ऋणी के साथ कोई समझौता संयोजित करता है अथवा अवधि बढ़ाने या मूल ऋणी पर मुकदमा चलाने का वचन देता है तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।

(4) ऋणदाता के किसी कार्य या भूल से प्रतिभू के अधिकार में कमी आने पर - यदि ऋणदाता कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रतिभू के हित के विपरीत है अथवा कोई ऐसा कार्य करना भूल जाता है जिसे पूरा करने का उसका कर्त्तव्य था, जिससे मूल ऋणी के विरूद्ध उपलब्ध प्रतिभू के अधिकार में कुछ रूकावट या कमी हो जाती है, तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त पाता है। (धारा 139)

(5) ऋणदाता द्वारा जमानत खो देने पर - जब प्रतिभू अपने दायित्व को पूरा कर देता है तो वह ऋणदाता से उस प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने का अधिकार होता है जो उसके पास जमानत के रूप में रखी थी। अतः यदि ऋणदाता जमानत की वस्तु खो देता है अथवा बिना प्रतिभू की अनुमति के उसे दूसरे को देता है तो प्रतिभू का दायित्व उस वस्तु के मूल्य के अनुपात में कम हो जायेगा। (Sec. 14)

किन्तु यह नियम जमानत की उन वस्तुओं के बारे में लागू नहीं होता जो ऋणदाता को प्रत्याभूति अनुबन्ध होने के बाद प्राप्त हुई हो।

(6) सूचना द्वारा खण्डन किए जाने पर - चालू प्रतिभू अनुबन्ध की दशा में प्रतिभू किसी भी समय ऋणदाता को प्रतिभूति की समाप्ति की सूचना देकर भविष्य के दायित्वों से अपने को मुक्त कर सकता है।

(7) प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर - प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर प्रतिभू के उत्तराधिकारी प्रतिभू की मृत्यु के उपरान्त किये गये सभी व्यवहारों से उत्पन्न सभी दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे, बशर्ते कि इसके विपरीत अनुबन्ध में कोई अन्य व्यवस्था न हो।

(a) प्रत्याभूति अनुबन्ध के अमान्य हो जाने पर - जब कोई प्रतिभू कपट, मिथ्या वर्णन या महत्त्वपूर्ण तथ्यों को छिपा कर ली गई हो, तो प्रत्याभूति अनुबन्ध अमान्य होता है। अतः प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।

किन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिभूति अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है-

(i) जब ऋणदाता मूल-ऋणी को समय देने का ठहराव किसी तीसरे व्यक्ति के साथ करता है, मूल ऋणी के साथ नहीं तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। (धारा 136)

(ii) जब ऋणदाता ऋण के देय हो जाने पर भी मूल-ऋणी के विरूद्ध समय-सीमा अवधि के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत नहीं करता या कोई अन्य उपचार का प्रयोग नहीं करता तो विपरीत अनुबन्ध के अभाव में प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

(iii) जब ऋणदाता एक सह-प्रतिभू को मुक्त कर दे तो ऐसी दशा में सह-प्रतिभू अपने-अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते।

4.10.2 प्रतिभू के अधिकार (Rights of Surety) -

प्रतिभू के निम्नलिखित अधिकार हैं-

(क) मूल ऋणी के विरूद्ध अधिकार (Right as against th e principal debtor) - इसके अन्तर्गत प्रतिभू का लिखित दो अधिकार प्राप्त है-

(i) प्रत्यासन का अधिकार (Rights of Subrogation) - धारा 140 के अनुसार, मूल ऋणी द्वारा चूक किए जाने पर जब प्रतिभू उनके ऋण का भुगतान कर देता है या वचन का निष्पादन कर देता है तो उसे वे सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो ऋणदाता को मूल ऋणी के विरूद्ध प्राप्त था।

Scanned with CamScanner

(ii) क्षतिपूर्ति का अधिकार (Right of Indemnity) - धारा 145 के अनुसार प्रत्येक प्रत्याभूति अनुबन्ध में मूल ऋणी द्वारा यह गर्भित वचन होता है कि वह प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करेगा और प्रतिभू उन सभी राशियों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है जो उसने वैधानिक रूप से चुकाया है।

(ख) ऋण दाता के विरूद्ध अधिकार (Right as against the creditor) - धारा 141 के अनुसार प्रतिभूति के अनुबन्ध के समय लेनदार द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियाँ जो कि देनदार से उसने प्राप्त की है कि लाभ को लेने का अधिकारी है प्रतिभू है, चाहे प्रतिभू इन प्रतिभूतियों के विषय में जानकारी रखता है अथवा नहीं एवं लेनदार प्रतिभू की सहमति के बिना प्रतिभूतियों को वापस करता है या उसके किसी भाग को लौटा देता है तो प्रतिभू लौटायी गयी प्रतिभूतियों के मूल्य के बराबर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।

(ग) सह-प्रतिभू के विरूद्ध अधिकार (Right as against the co-surety) - जब किसी एक ऋण अथवा वचन के निष्पादन के लिए दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रत्याभूतियाँ प्रदान की गई है तो वे सह-प्रतिभू कहलाते हैं। सह-प्रतिभू के विरूद्ध किसी विशिष्ट प्रतिभू को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं-

(i) समान भाग के लिए दायित्व (Liability to contribute equally) - धारा 146 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान ऋण या दायित्व के लिए या पृथक-पृथक या संयुक्त रूप से सह-प्रतिभू है तो विपरीत अनुबन्ध के अभाव में, प्रत्येक पारस्परिक रूप से सम्पूर्ण ऋण के लिए अथवा मूल देनदार द्वारा भुगतान किये गये अंश में उत्तरदायी होगा।

(ii) भिन्न-भिन्न राशियों के लिए सह-प्रतिभूतियों का दायित्व (Liabilities of co-sureties bound in different sums) - धारा 147 के अनुसार यदि सह-प्रतिभू भिन्न-भिन्न राशियों के लिए उत्तरदायी है तो वे अपने क्रमागत दायित्वों की सीमा तक बराबर भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि किसी प्रतिभू द्वारा सम्पूर्ण ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो वह अन्य प्रतिभूगण से उनके दायित्व की सीमा तक बराबर-बराबर भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है।

4.11 सारांश (Summing up)

1. गर्भित तथा अर्द्धगर्भित अनुबन्ध में अन्तर।
2. अनुबन्ध खण्डन के उपचार।
3. क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति अनुबन्ध में अन्तर।
4. प्रत्याभूति के प्रकार।

4.12 अभ्यास हेतु प्रश्न (Question for Exercise)

1. क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति अनुबन्ध में अन्तर बतायें।
2. अनुबन्ध खण्डन के विभिन्न उपचारों का वर्णन कीजिये।

4.13 पठनीय पुस्तकें (Suggested Readings)

1. व्यापारिक सन्नियम : शुक्ल एवं नारायण
2. व्यापारिक सन्नियम : एन० डी० कपूर
3. व्यापारिक सन्नियम : डॉ० मेहता

Scanned with CamScanner